

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3716] No. 3716] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2019/कार्तिक 27, 1941

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019/KARTIKA 27, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

का.आ. 4139(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित अधिसूचित करती है:

वित्तीय सेवा प्रदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों की दिवाला समाधान और समापन कार्यवाहियां दिवाला एवं शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं का दिवाला और समापन कार्यवाहियां और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 (जिसे इस अधिसूचना में 'नियम' कहा जाएगा) के साथ पठित दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों और प्रयोज्य विनियमनों के अनुसार लागू की जाएंगी:

क्र.सं.	वित्तीय सेवा प्रदाता की श्रेणी (नियम का नियम 2 देखें)	उचित विनियामक नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) का खंड क]	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, पांच सौ करोड़ या उससे अधिक की आस्तियों वाली गैर-वैंककारी वित्तीय कंपनियां (जिसमें आवासीय वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं)	भारतीय रिजर्व बैंक	पृथक रूप से अधिसूचित किया जाना है

[फा. सं. 30/4/2017-इंसोल्वेंसी अनुभाग] ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

5937 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

S.O. 4139(E).—In exercise of the powers conferred by section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby notifies as under:

The insolvency resolution and liquidation proceedings of the following categories of financial service providers shall be undertaken in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019 (in this notification referred to as the 'Rules') and the applicable Regulations:

Sl. No.	Category of Financial Service Provider (rule 2 of the Rules)	Appropriate Regulator [clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Rules]	Dealing with third-party assets (rule 10 of the Rules)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Non-banking finance companies (which include housing finance companies) with asset size of Rs.500 crore or more, as per last audited balance sheet.	Reserve Bank of India	To be notified separately

[F. No. 30/4/2017–Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.